Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 27 ◻ अंक- 357 ◻ रायपुर, सोमवार 20 जनवरी 2025 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● बिलासपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान 11 फरवरी को मतदान और 15 को मतगणना

आचार संहिता लागू, डेढ़ करोड़ मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि

रायपुर, 20 जनवरी (हाईवे चैनल)। निकाय चुनाव को लेकर संशय आज समाप्त हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त अजय सिंह ने आज निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस लेकर बताया कि राज्य में 11 फरवरी को होगा मतदान तथा मतगणना 15 फरवरी को होगा। राज्य के 1.57 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे। कुल 10 नगर निगम, 45 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत, 33 जिला पंचायत, 140 जनपद पंचायत और 11672 ग्राम पंचायत के लिए 1 लाख जनप्रतिनधि चुने जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी तथा नामांकन का अंतिम दिन 28 जनवरी होगा। इसकी स्कूटनी 29 जनवरी को की जाएगी। तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी को होगी। शहरी क्षेत्रों में एक चरण में मतदान होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 27 जनवरी होगी तथा उनका अंतिम तारीख 3 फरवरी होगी। 4 फवरी को स्कूटनी की जाएगी और 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 3 चरणों में मतदान होगा पहला 17 फरवरी, दूसरा 20 फरवरी और तीसरा चरण 23 फरवरी होगा। पंचायत चुनाव की मतगणना उसी दिन मतदान के दिन ही यानी 17, 20, 23 को ही हो जाएगी। लेकिन उसका टेबूलेशन 18, 21 एवं 24 फरवरी को होगा। 24 फरवरी को मतदान की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कुल 14 नगर निगम में 10 नगर निगम का चुनाव होना है जिसमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, अंबिकापुर, चिरमिरी, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, एवं जगदलपुर शामिल हैं।

बीते दिनों 192 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण किया गया था. जिसमें 14 नगर निगमों के मेयर, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई थी. इस बार 5 नगर निगमों में महिलाओं को आरक्षण मिला है. वहीं 54 नगर पालिकाओं में से 18 सीटों को महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है, जिनमें 3 सीटें अनुसूचित जाति , 2 सीटें अनुसूचित जनजाति , 4 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग, और 9 सीटें सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हैं।

कोंडागांव में स्कूल बस की ट्रक से टक्कर एक शिक्षक और बस चालक की मौत

कोंडागांव , 20 जनवरी (हाईवे चैनल)। कोंडागांव जिले में नेशनल हाइवे 30 में आज सोमवार सुबह स्कूली बच्चों और शिक्षकों से भरी बस की ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, इनमें 4 की हालात नाजुक बताई जा रही है।

कोंडागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि जिला मोहला-मानपुर स्थित मिडिल स्कूल केवंट टोला के सभी शिक्षक और बच्चे बस से तीरथगढ़, चित्रकूट, दंतेवाड़ा बारसूर भ्रमण के लिए गए हुए थे। वापसी के दौरान आज सुबह बस और एक ट्रक की कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकलपुटी नया बस स्टैंड के सामने आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक और एक शिक्षक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर सहायता शुरू की और बच्चों को निकालना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी । वहीं 12 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

ब्रेकिंग न्यूज

अमेरिका के इतिहास में हो रहा पहली बार अपने शपथ में भारतीय बैंड बजवा रहे हैं ट्रंप

नई दिल्ली, 20 जनवरी (न्यूज चैनल)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लेंगे तो वो भारतीय ढोल ताशा भी सुनेंगे। ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में हो रहा है जब किसी राष्ट्रपति के शपथग्रहण कार्यक्रम में ढोल ताशा बजाया जाएगा। शिवम ढोल ताशा बैंड के हरीश ने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया और अगर हम परफार्म कर पाए तो जो अच्छा है वो पड़ोसा जाएगा। सिंपल तरीके से परोसी गई चीज हर किसी को पसंद आती है। उन्होंने कहा कि हम कुछ तो स्पेशल करेंगे। ये महाराष्ट्रियन बीट पर होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस शपथग्रहण में एक भारतीय अमेरिकी बैंड को बुलावा भेजा गया है। ये अमेरिका में मौजूद भारतीय अमेरिकी ढोल बैंड को बुलावा भेजा गया है। ये अमेरिका में मौजूद भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए बेहद ही गौरव का पल है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, चुनावी न्यासों से भाजपा को सबसे बड़ी रकम चंदे के रूप में प्राप्त हुई है। चुहिया- हां जी, सत्ता और रूपया को आत्मीय संबंध बहुत पुराना है।

अलाव के पास बैठे बुजुर्ग की मौत, जला जिंदा

जगदलपुर, 20 जनवरी (हाईवे चैनल)। एक बुजुर्ग घर में ही जिंदा जल गया है। बताया जा रहा है कि, वो अलाव जलाकर बैठा था। जिससे पहले आग उसके कपड़े पर लगी, फिर आधा शरीर जलकर खाक हो गया। उसके घुटने से नीचे पैर का कुछ हिस्सा ही बचा है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। दरअसल, बुजुर्ग शिव शंकर यादव (64) जगदलपुर के गंगानगर वार्ड क्रमांक-23 के रहने वाले थे। घर पर अकेले रहते थे। रविवार को उन्होंने अपने घर पर अलाव जलाकर रखा था। वे शॉल भी ओढ़े थे। इस दौरान अचानक उनके कपड़े में आग लग गई। जिससे उनका शरीर जल गया। वे बेसुध होकर नीचे गिर गए। इस हादसे में उनका शरीर जल गया। आग की लपटें इतनी थी कि आस-पास में रखा सामान भी जल गया। जिसके बाद आग की लपटें फैली और घर से धुआं उठने लगा। वहीं, आस-पास के लोगों ने जब धुआं देखा तो तत्काल मौके पर पहुंचे थे।

राम मंदिर पर फैसला देने वाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब यूसीसी और एक राष्ट्र, एक चुनाव की वकालत की

नई दिल्ली, 20 जनवरी (न्यूज चैनल)। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े विवाद पर फैसला देने वाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ''बेहद महत्वपूर्ण'' कदम बताया है तथा इसके क्रियान्वयन से पहले आम सहमति बनाने की जरूरत पर बल दिया है। राज्यसभा सदस्य गोगोई ने रविवार को गुजरात के सूरत शहर में 'सूरत लिटफेस्ट 2025' में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव होने से शासन प्रभावित होता है, प्रशासन और वित्त पर दबाव पड़ता है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''मैं समान नागरिक संहिता को एक बहुत ही प्रगतिशील कानून के रूप में देखता हूं जो विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की जगह लेगा जो कानून बन गए हैं।'' गोगोई ने कहा कि इस बात पर कोई बहस नहीं है कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है और अनुच्छेद 44 में वर्णित है। गोगोई ने कहा कि अगर यूसीसी को लागू किया जाता है, तो इससे सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का व्यक्तिगत कानून होगा, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।

हम आपको बता दें कि यह विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और भरण-पोषण जैसे मामलों पर लागू होगा। भारत में समान नागरिक संहिता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लगातार चुनावी घोषणापत्रों का एक प्रमुख एजेंडा रहा है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक सत्र के दौरान कहा, ''मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और हमें एक बात पर स्पष्ट होना चाहिए- इसका धर्म के पालन से संबंधित अनुच्छेद 25 और 26 के साथ कोई टकराव नहीं है।'' सत्र के दौरान गोगोई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' के संपादक प्रफुल्ल केतकर के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सोपोर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान ठिकाने को ध्वस्त किया

नई दिल्ली, 20 जनवरी (न्यूज चैनल)। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और रिपोर्ट्स के अनुसार इलाके में एक या दो आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह है। पुलिस ने कहा मुठभेड़ कल रात तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) के दौरान एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया।

CASO को जालोरा के इलाके में लॉन्च किया गया था। इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार को ङ्क पर एक पोस्ट में कहा सोपोर के जालोरा में पुलिस और स्ख्र द्वारा शुरू किए गए ष्टस्ख्र के दौरान एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। उसी दौरान अंदर से गोलीबारी देखी गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर के सोपोर इलाके के जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, क्योंकि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी जारी रखी।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक

नई दिल्ली, 20 जनवरी (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए %हत्यारा% शब्द का प्रयोग किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैसले में शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत व प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख रूप से रहे मौजूद

रायपुर, 20 जनवरी (हाईवे चैनल)। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शंकर नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रखी गई थी जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद थे इनके अलावा तीनों प्रभारी सचिव के साथ-साथ कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुए यह बैठक आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी कि आने वाला चुनाव किस प्रकार से कांग्रेस लड़ेगी और उसमें रणनीति क्या रह सकती है।

आपको बता दे कि यह बैठक प्रमुख रूप से नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में बुलाई गई थी इसमें प्रत्याशी चयन के मापदंडों को लेकर विचार विमर्श किया गया वहीं नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी गंभीर रूप से विचार विमर्श हुआ आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी दम खम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है इसको लेकर कल जहां घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई वहीं आज विधायक दल की बैठक से यह साफ हो गया कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है इस बार नगरीय निकाय का चुनाव कांग्रेस को विपक्ष में रहकर लड़ना होगा ऐसे में साधन संसाधन के साथ-साथ बहुत से विषय महत्वपूर्ण है जिसमें आज गंभीर चिंतन मनन किया गया।

आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली, 20 जनवरी (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

इससे पहले सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।

फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।

अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को संजय रॉय को पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। संजय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है।